

**राजस्थान सरकार**

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सं.27(3)(3)पदो/अभि/24/

जयपुर, दिनांक:

**आदेश**

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी (Pay Matrix L-12) के पद पर वर्ष 2024-25 की रिक्ति के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक
01.	श्री मनोज कुमार खराडी पुत्र श्री सोमालाल	ST	01.04.2024
02.	श्री देवीलाल शर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ शर्मा	UR	01.04.2024

उपरोक्त चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है किन्तु पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात् कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
03. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
04. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. संबंधित अधिकारी.....द्वारा:— कार्यालयध्यक्ष।
06. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन  
Document certified by RAVI SHARMA  
<sharma.ravi@rajstg.gov.in>

Digitally Signed by RAVI  
SHARMA  
Designation: Director  
Date :20-09-2024 12:37:44